न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 76/2020
3. उनवान : सरकार जरिये राजेश कुमार टांक, प्रवर्तन निरीक्षक
   बनाम
   मैसर्स बालाजी पवित्र भोजनालय, रेल्वे स्टेशन जयपुर कार्यकर्ता श्री रामवतार यादव पुत्र हरिलाल यादव, सुल्तानपुर उत्तरप्रदेश।
4. निर्णय दिनांक : 16.02.2023
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री राजेश कुमार चौधरी अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम श्री राजेश कुमार टांक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 20.01.2020 को गैस सिलेण्डरों के दुरुपयोग की शिकायत की जांच हेतु मैसर्स बालाजी भोजनालय पर पंहुचे। मौके पर इण्डेन का घरेलू सिलेण्डर भट्टी से जोडकर रोटी बनाते हुये पाया गया। इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपभोग किया जा रहा था। मौके पर 2 इण्डेन के घरेलू सिलेण्डर रखे हुये पाये गये। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ता ने इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया ना ही गैस कनेक्शन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। इस प्रकार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.500 किग्रा. एलपीजी को जब्त किया गया। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमार चौधरी ने दिनांक 09.02.2023 को उपस्थिति दी एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त जब्ती दिनांक को वह उपस्थित नहीं था। ढाबे पर उपस्थित कर्मचारी ने खाना बनाने के लिये घरेलू सिलेण्डरों का उपयोग किया। उक्त जब्त सिलेण्डरों को राजसात किया जाता है तो अप्रार्थी को कोई परेशानी नहीं है। इसलिये प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें और इस प्रार्थना पत्र को बहस समझने की कृपा करें। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 16.02.2023 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 20.01.2020 को जब्त घरेलू सिलेण्डर का अप्रार्थी द्वारा वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर से संबंधित दस्तावेज मौके पर व आज तक उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नहीं किया गया है। मौके पर घरेलू सिलेण्डर भट्टी से जोडकर उपयोग में लिया जा रहा था। जिससे घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध वाणिज्यिक उपयोग किया जाना सिद्ध होता है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मे घरेलू सिलेण्डर के वाणिज्यिक प्रयोजन की स्वीकारोक्ति भी की है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। ऐसी स्थिति में फर्द जब्ती से जब्त वस्तुओं के संबंध में सन्तोषप्रद जवाब अथवा कोई वैध दस्तावेज अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं करने पर प्रार्थी द्वारा फर्द अनुसार जब्त सामान 3 आईओसी के घरेलू गैस सिलेण्डर मय 8.500 किग्रा. एलपीजी को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।